



प्रेषक,

हरीश कुमार,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक

बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,

नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 01.10.2026

विषय:- बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के गैर-वेतन मद की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- पी.जी.आई.सी.एच./वित्त/2026-27/ 234, दिनांक 14.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0 5200.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूप 52,00,00,000/- (बावन करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक 12.05.2026 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ₹0 13,00,00,000.00 (रूपये तेरह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अतएव संदर्भित पत्र दिनांक 14.09.2026 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में 13, 00,00,000.00 (रूपये तेरह करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए उसे आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय/ संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,00,00,000 (रुपये तेरह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050370 सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-122/दस-2026-27 दिनांक 28-09-2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(हरीश कुमार),
उप सचिव।

संख्या, एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उ०प्र० शासन।
4. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ०प्र० प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
6. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
8. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. नोडल अधिकारी, बजट, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।